ITBP

// नोटिस //

जैसा कि, आप दल संख्या 110210668 कॉ.(जी.डी.) अरूण बबन पंचदाने, पुत्र श्री बबन विथोबा पंचदाने 'सपोर्ट' समवाय, 55वीं वाहिनी भा॰ति॰सी॰पु॰ बल बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति/सूचना के दिनांक 26.06.2023 (पूर्वा0) से 16.07.2023 (अप्रा0) तक स्वीकृति 20 दिन अर्जित अवकाश से अनुपस्थित है। आपको 55वीं वाहिनी भा0ति0सी0पुलिस बल के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5205 दिनांक 22.07.2023, कार्यालय ज्ञापन सं0 5310 दिनांक 28.07.2023 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 5589 दिनांक 09.08.2023 के तहत तुरन्त ड्यूटी पर आने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु ना तो आप ड्यूटी पर आए और न ही वाहिनी को आपकी ओर से कोई सूचना प्राप्त हुई है।

2. आपकी निरन्तर अनुपस्थिति पर इस कार्यालय के पत्र संख्या **644–48 दिनांक 19.08.2023 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक,** जिला बुलढाना (महाराष्ट्र) को आपको गिरफ्तार करके इस वाहिनी को सौंपने हेतु प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन–Deulgaon Raja, जिला–बुलढाना (महाराष्ट्र) आपके पिताजी को भी आपको तुरन्त ड्यूटी पर वापिस आने हेतु निर्देश देने का अनुरोध करते हुए सूचित किया गया था, किन्तु न तो आप ड्यूटी पर वापिस आए और न ही पुलिस अधीक्षक, जिला– बुलढाना (महाराष्ट्र) ने आपको इस वाहिनी को सौंपा गया है। दिनांक 16.07.2023 (अप्रा॰) से बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति/सूचना के लगातार अनुपस्थिति के मद्देनजर भा॰ति॰सी॰पु॰ बल अधिनियम, 1992 की धारा 74 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कार्यालय आदेश संख्या 2541 दिनांक 18.09.2023 के तहत आपकी निरन्तर अनुपस्थिति की परिस्थितियों का पता लगाने हेतु एक न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया था। न्यायिक जांच समिति के निष्कर्ष तथा सिफारिशों के अनुसार भा॰ति॰सी॰पु॰ बल अधिनियम, 1992 की धारा 74 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या 289–388 दिनांक 19.01.2024 के तहत् आपको "भगौड़ा" घोषित किया गया है। अतः यह माना जाता है कि आप आगे भा॰ति॰सी॰पु॰ बल में सेवा करने के इच्छुक नहीं है।

3. भा॰ति॰सी॰पु॰ बल अधिनियम 1992 तथा भा॰ति॰सी॰पु॰ बल नियमावली 1994 के प्रावधानों के अनुसार इस मामले में अग्रिम कार्यवाही से पहले आपको वाहिनी मुख्यालय 55वीं वाहिनी भा॰ति॰सी॰पु॰ बल, रंगामाटी, तेजपुर (असम) में इस नोटिस के जारी होने के 30 दिन के अन्दर रिपोर्ट करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। आमद नहीं देने की स्थिति में अनुपयुक्तता के आधार पर बल से आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

विनोद

सेनानी

55वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पुलिस

55वीं वाहिनी भा.ति.सी.पु. बल
55th Bn. I.T.B.P. Force

सेनानी, 55वीं वा भ ति सी पुलिस
Commandant, 55th Bn. ITBP
गृह मंत्रालय MHA

CBC 19112/11/0023/2425